



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गृह भेदन कर चोरी की घटना कारित करने के आरोपी पप्पू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 10 माह का कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त पप्पू पुत्र हरिया निवासी मलहरा थाना मलहरा जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश द्वारा गृह भेदन कर चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 76/2023 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.11.2024 को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त पप्पू पुत्र हरिया को 01 वर्ष 10 माह के कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी सुमित को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुमित पुत्र मंगतराम निवासी ग्राम कम्मो माजरा थाना बेहटा जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 249/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.11.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद स्पेशल गैंगस्टर अधिनियम बागपत द्वारा अभियुक्त सुमित को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 11.11.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .312 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .312 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .312 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .312 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना

बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना-बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रशान्त उर्फ प्रिंस पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शिकोहपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .312 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .312 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2.का0 985 विपुल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3.का0 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 11-11-2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा में जनपद अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजू कुमार उर्फ दुन्ना पुत्र रामकुमार निवासी कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-का0 555 रवि चौधरी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-का0 24 तरुण थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बड़ौत

दिनांक 11.11.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

अजय उर्फ काला पुत्र बालकिशन निवासी ग्राम खामपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2- है0का0 629 भारत सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3- का0 525 महेशचन्द थाना बड़ौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 11.11.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 05 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधो की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

जितेन्द्र पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम संतनगर थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 15 यशविन्दर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-का0 718 अनित कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 11.11.2024

थाना खेकडा पर एमवी एक्ट में दाखिल कुल 30 वाहनों (कीमत 01 लाख 98 हजार) की नीलामी के सम्बन्ध में-

कार्यवाही-

दिनांक 11.11.2024 को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना खेकडा पर वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक के एमवी एक्ट में दाखिल वाहनों की नीलामी क्षेत्राधिकारी खेकडा, नायब तहसीलदार खेकडा, उपसम्भागीय अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक खेकडा की उपस्थिति में की गयी। उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस-पास के जनपदों के कुल-11 कबाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल-30 वाहनों (25 दो पहिया , 03 तिपहिया वाहन व 01 कार व 01 ट्रैक्टर) कीमत 01 लाख 98 हजार रुपये की नीलामी की गयी।

